न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 103 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पहाड़सिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी केसुम्बला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर। जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.गंगाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी केसुम्बला महेचान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
2.छतरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
3.रैंवतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
4.जीवराजसिंह पुत्र उमेदसिंह
5.मोधोसिंह पुत्र उमेदसिंह
6.दलपतसिंह पुत्र उमेदसिंह
7.श्रवणसिंह पुत्र उमेदसिंह
8.नेपालसिंह पुत्र उमेदसिंह
9.मु.जमाल कंवर पत्नी उमेदसिंह
10.अमरसिंह पुत्र भूरसिंह
11.गुलाबसिंह पुत्र भूरसिंह
12.लाधूसिंह पुत्र भूरसिंह
13.मु.समदकंवर पत्नी भूरसिंह
14.मनोहरसिंह पुत्र आम्बसिंह
15.भगसिंह पुत्र आम्बसिंह
16.मोहब्बतसिंह पुत्र आम्बसिंह
17.पूनसिंह पुत्र आम्बसिंह
18.ईश्वरसिंह पुत्र आम्बसिंह
19.मु.हवा कंवर पत्नी आम्बसिंह
20.सवाईसिंह पुत्र कुम्पसिंह
21.देवीसिंह पुत्र कुम्पसिंह
22.मु.फुलकंवर पत्नी कुम्पसिंह का.मु. उत्तरदाता संख्या 20 सवाईसिंह व उत्तरदाता संख्या 21 देवीसिंह
23.तनसिंह पुत्र परबतसिंह
24.कल्याणसिंह पुत्र परबतसिंह
25.नरपतसिंह पुत्र परबतसिंह जातियान राजपूत निवासीयान केसुम्बला महेचान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
26.श्रीमती वरजू देवी पत्नी अचलाराम
27.गुमनाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासीयान केसुम्बला महेचान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
28.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 101ए/2011 बअनवान गंगाराम बनाम छतरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पोडेंट संख्या 14, 15 व 25 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 11.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट तथा उतरदातागण संख्या 01 से 27 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 152 रकबा 513.10 बीघा मौजा धोलासर पटवार हल्का सवाऊ मूलराज में आया है जिसमें अपीलांट का खातेदारी हिस्सा 1/4 था, अपीलांट ने अपने हिस्से का निस्फ हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण खसरे का हिस्सा 1/8 का पंजीबद्ध बैचान उतरदाता संख्या 01 को कर दिया और उसी उतरदाता संख्या 01 ने उतरदाता संख्या 20 से 22 के वालिद स्व. कूम्पसिंह से उनका आंशिक हिस्सा खरीद कर अपने पक्ष में दस्तावेज पंजीबद्ध कराये तथा उसने उस स्थान पर कब्जा प्राप्त किया जहां अपीलांट काबिज थे। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 ने अपने हिस्से का रकबा शेष सह–खातेदारान से विभाजन करवाने हेतु पेश किया। वाद दिनांक 16.05.2012 को खारिज हो गया। यह खारिज वाद पुनः बरामद करने हेतु धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पेश होने पर दिनांक 09.08.2012 को पुनः नम्बर पर लिया गया एवं वाद को स्वीकार कर उसी दिन बिना शेष पक्षकारान की जानकारी में लाये प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया गया परन्तु विभाजन प्रस्ताव निरीक्षक भू–अभिलेख गिड़ा ने वादी व उसके द्वारा पेश किये मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 24.08.2012 को तैयार कर पेश किया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के समय किसी भी प्रतिवादी को तलब नहीं किया और न अपना पक्ष पेश करने का विचरण न्यायालय ने अवसर दिया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

तहसीलदार स्वयं ही विभाजन प्रस्ताव बना सकते है। की पालना नहीं करने से विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भ से ही अवैधानिक व शून्य है। विभाजन प्रस्ताव के लिए वादी को नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया इसके बावजूद भी दिनांक 19.09.2012 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds नहीं किया गया है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाती है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जहां कब्ज विक्रेता से प्राप्त किया था, उससे हट कर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास करने पर विवाद की उपस्थिति पैदा हो गई तथा फाईनल डिक्री की जानकारी देने पर उसकी नकले दिनांक 13.07.2017 को प्राप्त करने पर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये गये निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गई। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा प्रस्ताव पर केवल प्रतिहस्ताक्षकर किये गये है। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट/वादी को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज पेश करने का अवसर नहीं दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 101ए/2011 बअनवान गंगाराम बनाम छतरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2012 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner